सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.:सं. NCST/SER-1551/MCOL/2/2024-RO-RNC दिनांक : 09.04.2025

सेवा मे,

श्री विक्रम देव दत्त
सचिव,
कोयला मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
डॉ. राजेंद्र प्रसाद मार्ग,
नई दिल्ली -110001
Email Id: secy.moc@nic.in

विषय: "वरीयता सूची में नाम नहीं जोड़ने तथा सहायक आयुक्त - क्षेत्रीय आयुक्त /11 के पद पर पदोन्नति में भेदभाव किए जाने" - श्री सुमन उरांव, लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र -IL सीकैम्पस .एल.सी., दरभंगा हाउस, रांची से प्राप्त (झारखंड) अभ्यावेदन.

संदर्भ: रांची क्षेत्रीय कार्यालय का नोटिस दिनांक 17.10.2024 (प्रतिलिपि संलग्न)

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषककी जांच/ जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **17.04.2025 को 03:00** P.M बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड) 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने केलिए सूचनार्थ:

श्री सुमन उरांव,
लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि,
क्षेत्र -IL सीकैम्पस .एल.सी.,
दरभंगा हाउस, रांची (झारखंड)
Mobile No:9430143273

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body exercising the powers of a civil court under Article 338A of the Constitution of India)

(झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के लिए क्षेत्रीय कार्यालय)

(Regional Office for Jharkhand, Bihar and Uttar Pradesh)

नोटिस

फा. सं.: NCST/SER-1551/MCOL/2/2024-RO-RNC

दिनांक: 17/10/2024

1. **श्री वी. एल. कांथा राव**
   सचिव,
   कोयला मंत्रालय,
   भारत सरकार,
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
   नई दिल्ली - 110001
   Email Id: secy.moc@nic.in

विषय: अभ्यावेदक श्री सुमन उरांव, लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र - IL सी.सी.एल. कैम्पस, दरभंगा हाउस, रांची (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन " वरीयता सूची में नाम नहीं जोड़ने तथा सहायक आयुक्त / क्षेत्रीय आयुक्त - II के पद पर पदोन्नति में भेदभाव किए जाने" के संबंध में

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री सुमन उरांव से दिनांक 01/08/2024 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।

राष्ट्रीय अनु. जनजाति आयोग
प्रेषित/Issue 4441, 4442
दिनांक 17/10/2024

(प्रदीप कुमार दास)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री सुमन उरांव, लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र - IL सी.सी.एल. कैम्पस, दरभंगा हाउस, रांची (झारखंड)
Mobile No:9430143273

14 न्यू ए.जी. को - ऑपरेटिव कॉलोनी कडरु, रांची (झारखंड) - 834002
14 New A.G. Co- operative Colony Kadru, Ranchi (Jharkhand) - 834002
E Mail : ro-ranchi@ncst.nic.in, Telefax: 0651-2340368 , 0651-2912368

Dr. Asha Lakra

सेवा में,

रांची, दिनांक 25 जुलाई, 2024

अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित, जनजाति आयोग
भारत सरकार, खान मार्केट
नई दिल्ली

विषय : वरीयता सूची में नाम नहीं जोड़ने तथा सहायक आयुक्त / क्षेत्रीय आयुक्त –।। के पद पर प्रोन्नति में भेदभाव किए जाने के संबंध में

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आपका ध्यानार्कषण करना चाहता हूं कि मैं कोयला खान भविष्य निधि संगठन, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र ।।, रांची में अभी लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। मैं दिनांक 28 अप्रैल, 1989 को कनिष्ठ आशुलिपिक पद पर योगदान दिया था। मेरे साथ में या बाद में इसी पद पर योगदान देनेवाले का भी सहायक आयुक्त तथा क्षेत्रीय आयुक्त – ।। पद पर प्रोन्नति हो चुकी है, जिसका वेतनमान क्रमशः 15600–39100 तथा ग्रेड पे 5400 से 6600 हो गया है और ये सामान्य वर्ग से आते हैं। लेकिन मेरा वेतनमान अभी भी 9300 – 34800 के ग्रेड पे 4800 है जबकि भारतीय संविधान के अनुसार मैं अनुसूचित जनजाति में आता हूं और इस वर्ग के उन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहां वस्तुस्थिति विपरीत है। मुझे सामान्य अधिकारों से भी वंचित किया गया है, यह विडंबना है। इस प्रसंग में निम्नलिखित तालिका प्रस्तुत करना चाहता हूं।

कम सं0	स्थापना सख्या	नाम	पदनाम	नियुक्ति/प्रोन्नति तिथि	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1	1930	एम. कनाकम्मा	कनिष्ठ आशुलिपिक	16.08.1988	1200 – 2000
2	**1961**	**सुमन उरांव**	**कनिष्ठ आशुलिपिक**	**24.04.1989**	**1200 – 2000**
3	2005	विजय प्रसाद	कनिष्ठ आशुलिपिक	01.12.1989	1200 – 2000
4	2053	राजेश कु0 सिन्हा	कनिष्ठ आशुलिपिक	24.10.1990	1200 – 2000
5	1930	एम. कनाकम्मा	सहायक	25.04.1996	5000–150.– 9000
6	**1961**	**सुमन उरांव**	**सहायक**	**25.04.1996**	**5000–150.– 9000**
7	2005	विजय प्रसाद	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	12.03.1998	5000–150.– 9000

8	2053	राजेश कु0 सिन्हा	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	12.03.1998	5000–150.– 9000
9	1930	एम. कनाकम्मा	अधीक्षक	26.12..2001	5500–175–9000
10	**1961**	**सुमन उरांव**	**अधीक्षक**	**06.02.2003**	**5500–175–9000**
11	2005	विजय प्रसाद	वरीष्ठ हिन्दी अनुवादक	02.08.2004	5500–175–9000
12	2053	राजेश कु0 सिन्हा	वरीष्ठ हिन्दी अनुवादक	02.08.2004	5500–175–9000
13	1930	एम. कनाकम्मा	निरीक्षक	11.07.2005	5500–175–9000
14	**1961**	**सुमन उरांव**	**निरीक्षक**	**10.01.2006**	**5500–175–9000**
15	2005	विजय प्रसाद	सहायक आयुक्त – ।।	20.08.2008	6500–200–10500
16	2053	राजेश कु0 सिन्हा	सहायक आयुक्त – ।।	20.08.2008	6500–200–10500
17	1930	एम. कनाकम्मा	सहायक आयुक्त – ।।	28.08.2008	6500–200–10500
17	1930	एम. कनाकम्मा	सहायक आयुक्त	23.09.2016	15600–39100 ग्रेडपे 5400
18	**1961**	**सुमन उरांव**	**निरीक्षक**		9300–34800 ग्रेड पे 4200
19	2005	विजय प्रसाद	सहायक आयुक्त	23.09.2016	15600–39100 ग्रेडपे 5400
20	2053	राजेश कु0 सिन्हा	सहायक आयुक्त	23.09.2016	15600–39100 ग्रेडपे 5400
21	1961	एम. कनाकम्मा	क्षेत्रीय आयुक्त	14.06.2024	15600–39100 ग्रेडपे 6600
22	**1961**	**सुमन उरांव**	**लेखा अधिकारी**	**26.05.2017**	9300–34800 ग्रेड पे 4800
23	2053	राजेश कु0 सिन्हा	क्षेत्रीय आयुक्त – ।।	14.06.2024	15600–39100 ग्रेडपे 6600

उर्पयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि मेरा स्थापना सं0 1961 है तथा श्री विजय प्रसाद एवं श्री राजेश कुमार सिन्हा का स्थापना सं0 कमशः 2005 एवं 2053 है सभी एक ही पद और वेतनमान में नियुक्त हुए थे, इसमें मेरी नियुक्ति दिनांक 23.04.1989 सबसे पहले है फिर भी मुझे कनिष्ठ किया गया । भारत सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्रांक 20011/1/8895/डी. दिनांक 12 दिसम्बर 1988 तथा पत्रांक 20011/1/2001 स्था.।।डी में स्पष्ट किया गया है कि जिसका वेतनमान अधिक हो तथा अनुसूचित जनजाति का हो उसे वरीयता दी जाएगी लेकिन कोयला खान भविष्य निधि संगठन में अनुसूचित जनजाति

को कनिष्ठ बनाया गया है । इस संबंध में मैं दिनांक 13.09.2017 को एक अभ्यावेदन दिया। इस पर कोई जानकारी नहीं मिलने पर पुनः 25.01.2018 को अनुस्मार अभ्यावेदन दिया, जिसके जबाब मे बताया गया है कि सहायक आयुक्त के पद पर डी0 पी0 सी0 मीटिंग में ड्राफ्ट वरीयता सूची जारी की जाएगी। लेकिन वरीयता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तथा इस दौरान 13.06.2024 से 15.06.2024 तक डी0 पी0 सी0 की बैठक की गयी। इसके उपरान्त लगभग सभी कैडर में प्रोन्नति लगभग 8–10 कार्यालय आदेश जारी किए गए। मेरे समकक्ष सहयोगियों को पुनः एक प्रोन्नति का अवसर मिला और इस प्रकार कभी एक ही स्थान होते हुए भी मुझ दो श्रेणी पीछे धकेल दिया गया है उस पर तुर्रा यह कि आदिवासी या अनुसूचित जनजाति तो आरक्षण से आगे बढ़ते रहते है। यह भी विदित हो कि 2014–15 के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कोयला खान भविष्य निधि संगठन में करीब 110 निम्न वर्गीय लिपिक की नियूक्ति हूई थी लेकिन झारखंड प्रदेश अनुसूचित जनजाति बहुल्य होते हुए भी इस वर्ग के एक भी उम्मीदवार का नियोजन नहीं किया गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरा पदोन्नति उसी तिथि से दिलाए जाने कि कृपा की जाए जिस तिथि से उक्त कर्मचारियों को सहायक आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त–।। पद पर पदोन्नति दी गई है। ताकि अनुसूचित जनजाति को संविधान प्रदत्त एवं कानुन सम्मत अधिकार प्राप्त हो ।

आपका विश्वासी

सु0 उरांव

संलग्नः पेज 1 से 17

(सुमन उरांव)
लेखा अधिकारी
कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र – ।।,
सी0सी0एल कैम्पस , दरभंगा हाउस रांची,
मो0 सं0 : 94301 43273

प्रतिलिपि : 1. डा0 आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित – जनजाति आयोग को आवश्यक कार्यवाही हेतू सूचनार्थ ।

2. जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय एस0टी0 / एस0सी0 / ओबीसी एम्पालईज को ऑर्डिनेशन कौंसिल, रांची, झारखंड को आवश्यक कार्यवाही हेतू सूचनार्थ।

25/11/24

(सुमन उरांव)
लेखा अधिकारी
कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र – ।।,